न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 43 / 2022

उनवान

भागचन्द पुत्र छोटू जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
––– प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

बनाम

राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
–– अप्रार्थी :– जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनिश्म 1956

–: आदेश :– दिनांक :– 22.7.24

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 7111 रकबा 02–10–0 किसम बारानी 2 आवेदनकर्ता के पिता जेठू पुत्र मंगला की खातेदारी है। जेठु पुत्र मंगला की मृत्यु हो गयी है। जेठु की विरासत विधिक वारिस के नाम जरियें नामान्तकरण संख्या 11 दिनांक 15.03.1986 दर्ज की गयी। विधिक वारिसान में बंटवारा होने के कारण उक्त आराजी प्रार्थी के हिस्से में आयी है। उक्त वंर्किग खसरा नम्बर 7111 के हाल खसरा नम्बर 4303, 4306, 4307, 4308 व 4307 बने है। जिसमें से हाल खसरा नम्बर 4308 की किस्म गै.मु. धोरा अंकित कर दी गयी है। हाल खसरा नम्बर 4308 वंर्किग खसरा नम्बर 7111 का ही भाग है, वंर्किग खसरा नम्बर 7111 के अन्य हाल खसरा नम्बर की किस्म बारानी है, किन्तु हाल खसरा नम्बर 4308 रकबा 0.08 की किस्म गै. मु. धोरा त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दी है। अतः उक्त खसरा नम्बर की किस्म पूर्व अनुसार बारानी दर्ज करने के आदेश न्यायाहित में पारित करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी कोजरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने आरआरटी 2021 (2) पेज 1173–1175 की नजीर पेश की।

पत्रावली व प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता व राज0 पैरोकार के तर्को पर मनन किया गया। ग्राम रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 7111 रकबा 3–11–0 किसम बारानी 2 आवेदनकर्ता के पिता के नाम दर्ज है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर की किस्म बारानी है। वंर्किग खसरा नम्बर [illegible] हाल खसरा नम्बर 4308 रकबा 0.08 की किस्म गै.मु. धोरा है जो हाल राजस्व अ[illegible] प्रार्थी की एकल खातेदारी में दर्ज है। बंदोबस्त विभाग द्वारा उक्त आराजी की [illegible] के अनुसार दर्ज की है। प्रार्थी प्रस्तुत आवेदन पत्र द्वारा भूमि की किस्म परि[illegible] करना चाहता है। किन्तु बंदोबस्त के बाद भूमि की किस्म परिवर्तन करने का क्षेत्राधिकार हाजा न्यायलय को नही प्रार्थी को भूमि की किस्म परिवर्तन कराने हेतु नियमानुसार वि[illegible] कार्यवाही करनी चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:27 IST
Reason: SelfAttested

––2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजीर प्रकरण में चस्पा नही पायी जाती है।

अतः ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 4308 रकबा 0.08 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:15:27 IST
Reason: SelfAttested